मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 27, 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. शपथ.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2, विजयपुर से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री मुकेश मल्होत्रा, सदस्य ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए तथा सभा में अपना स्थान ग्रहण किया.

2. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा सर्वश्री सुरेश राजे एवं मुकेश मल्होत्रा, सदस्यगण को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 6 तक) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

सभापति महोदय (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 178 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 214 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

4. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्यकाल की सूचनाएं अपराह्न में कार्यवाही के अंत में लिए जाने संबंधी घोषणा की गई.

5. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी के कारण व्यवधान से कार्यवाही स्थगित होना तथा औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

जो इस सदन का सदस्य नहीं है उनके संबंध में नेता प्रतिपक्ष द्वारा टिप्पणी की अनुमति न दिए जाने संबंधी व्यवस्था.

शून्यकाल में मौखिक उल्लेख के समय श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा विगत दिवस राज्य सभा में एक मंत्री महोदय द्वारा कथित शब्दावली को लेकर विरोध प्रकट किया गया. डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गई.

आसंदी द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि :- '' आप सब अपने आसनों पर जाये. ऐसी कोई भी बात सदन में नहीं कहनी चाहिए. यह विलोपित किया जाए. आप लोग इस बात को भलीभांति जानते है कि इस विषय को सदन में नहीं लाया जा सकता है, जो सदस्य सदन में जवाब देने की स्थिति में नहीं है, उसके नाम का उल्लेख भी यहां नहीं होना चाहिये. इसलिये जो बात अभी आई है, इसको विलोपित किया जाता है. ''

सदन में परस्पर टीका टिप्पणी के कारण व्यवधान हुआ. इसी दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यगण भी गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे. कार्यवाही में शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अपराह्न 12.03 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.18 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री एवं श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि - सदन की यह परम्परा रही है कि कभी भी किसी दूसरे सदन की चर्चा नहीं की जाती है. किन्तु यहां बिना तथ्य और आसंदी की अनुमति लिए टिप्पणियां की गई. इसलिए इस पर आसंदी द्वारा कार्यवाही करते हुए व्यवस्था दी जाय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि-'' मैं समझता हूं कि जो भी परिस्थिति एकाएक उत्पन्न हुई, यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है. यह सदन चर्चा के लिये है और चर्चा नियम और प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है. हम सभी विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, प्रदेश की जनता का नेतृत्व करने के लिये यहां उपस्थित हुए हैं और इसलिये हमारी पहली जिम्मेवारी है कि सारे नियम और प्रक्रिया का पालन हम करें. हम सब इस बात को जानते हैं बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य बैठें हैं. दूसरे सदन की चर्चा अथवा किसी ऐसे सदस्य के नाम का उल्लेख, जो सदन में जवाब देने के लिये नहीं आ सकता, यह सामान्य तौर पर चर्चा नहीं होती है. इसलिये जो परिस्थिति खड़ी हुई, सदन अच्छे से चल रहा था और सबकी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा समय सदन चले. चर्चा के लिये भी आप सब इस बात को महसूस करते होंगे कि सबको समान अवसर दिया जा रहा है और आगे भी दिया जायेगा. इसमें किसी प्रकार की किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

आज भी बजट पर चर्चा है, बहुत सारे विषयों को उसमें लाया जा सकता है. कल भी चर्चा का अवसर हम सब लोगों को मिलेगा. प्रश्नकाल में ध्यानाकर्षण में चर्चा का अवसर मिल ही रहा है. इसमें सभी लोग अच्छे से जानते हैं. इसलिये आज जो घटनाक्रम हुआ मैं उसको पूरा कार्यवाही से विलोपित करना चाहता हूं और वह विलोपित किया जाये और आगे से हम सब लोग नियम प्रक्रिया, मर्यादाएं इनका पालन करें. ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है. ''

6. शासकीय वक्तव्य

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा '' संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना'' के संबंध में वक्तव्य दिया गया. इस पर आसंदी तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी संक्षिप्त विचार व्यक्त किए गए.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन अनुपालन लेखापरीक्षा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के कार्यान्वयन पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्रमांक-5 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल),

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-6 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल),

(vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-7 (निष्पादन लेखा परीक्षा-वाणिज्यिक),

(vii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन- मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-8 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल),

(viii) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2023-24 के खण्ड-I एवं II तथा विनियोग लेखे वर्ष 2023-24, एवं

(ix) नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

(ख) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 69 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24,

(ग) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन्, 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार-

(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं

(ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, तथा

(घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट पटल पर रखे.

(2) श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-22 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखीं.

(3) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(4) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष (31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखे.

(5) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा.

8. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य ने प्रदेश में आदिवासी बस्ती विकास योजना के अंतर्गत राशि का आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जनजातीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. कुंवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

(2) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य ने प्रदेश में साइबर अपराध पर अंकुश न लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री बाला बच्चन, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 133-भैंसदेही (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान को विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री भंवर सिंह शेखावत, सभापति ने लोक लेखा समिति का प्रथम से उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री हरिशंकर खटीक, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, सभापति ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का षष्टम एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया (जिला- दतिया)
(2) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(3) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(4) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(6) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(8) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (जिला-मैहर)
(9) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(10) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(11) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(12) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(13) श्री चैन सिंह बरकड़े (जिला-मण्डला)
(14) श्री नारायण सिंह 'पट्टा' (जिला-मण्डला)
(15) श्री संतोष बरकड़े (जिला-जबलपुर)
(16) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(17) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(18) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(19) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(20) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(21) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
(22) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)

(23) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
(24) डॉ. चिंतामणि मालवीय (जिला-रतलाम)
(25) श्री बाबू जण्डेल (जिला-श्योपुर)
(26) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
(27) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(28) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(29) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(30) श्री भगवानदास सबनानी (जिला-भोपाल)
(31) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(32) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(33) श्री मुकेश टण्डन (जिला-विदिशा)
(34) श्री लखन घनघोरिया (जिला-जबलपुर)
(35) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(36) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
(37) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
(38) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(39) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(40) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(41) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(42) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(43) सुश्री रामश्री राजपूत (जिला-छतरपुर)
(44) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(45) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(46) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(47) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(48) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(49) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(50) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(51) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(52) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(53) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(54) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह (जिला-भिण्ड)
(55) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(56) श्री कालूसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(57) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
(58) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(59) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(60) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(61) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(62) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(63) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(64) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(65) श्री भैरोसिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
(66) कुंवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)

(67) श्री अमरसिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(68) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(69) श्री विवेक (विक्की) पटेल (जिला-बालाघाट)
(70) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(71) श्री ठाकुरदास नागवंशी (जिला-नर्मदापुरम)
(72) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव (जिला-खरगोन)
(73) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(74) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(75) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

13. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं.

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर बाईस हजार दो सौ चौबीस करोड़, तिरानवे लाख, पांच हजार, नौ सौ इक्कीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे

(अपराह्न 1.31 बजे से 3.05 बजे तक अंतराल)

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए. }

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए.}

(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(4) श्री लखन घनघोरिया
(5) श्री शैलेन्द्र जैन
(6) श्री अभय मिश्रा
(7) श्री आरिफ मसूद
(8) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(10) श्री फूलसिंह बरैया
(11) श्री गौरव सिंह पारधी
(12) श्री सोहनलाल बाल्मीक

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए. }

14. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि एवं माननीय सदस्यों हेतु चाय की व्यवस्था.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में सम्मिलित विषय पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि वृद्धि की गई. माननीय सदस्यों के लिये लॉबी में चाय की व्यवस्था की गई है. मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्र की एक-दो बातें रखकर इस कार्यवाही को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें.

15. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(13) श्रीमती गायत्री राजे पवार
(14) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
(15) डॉ. चिंतामणि मालवीय
(16) डॉ.रामकिशोर दोगने
(17) डॉ. आशीष गोविंद शर्मा
(18) श्री महेश परमार
(19) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(20) श्री नारायण सिंह 'पट्टा'
(21) श्री प्रेमशंकर कुन्जीलाल वर्मा
(22) डॉ. विक्रांत भूरिया

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.}

(23) श्री अनिरूद्ध माधव'मारू'

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.}

(24) श्रीमती अनुभा मुंजारे
(25) श्री सुरेश राजे
(26) श्रीमती सेना महेश पटेल
(27) श्री पंकज उपाध्याय
(28) श्री विजय रेवनाथ चौरे

16. अध्यक्षीय व्यवस्था

अनुपूरक बजट पर निर्धारित समयावधि में चर्चा पूर्ण की जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि अनुपूरक बजट पर चर्चा अपराह्न 1.20 बजे प्रारंभ हुई थी अभी 7.01 हैं. चर्चा के लिये 4 घंटे तय थे. उससे भी अधिक समय हो गया है. इसलिये (श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष की सदन में अनुपस्थितिवश) मैं अब माननीय वित्त मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री वित्त द्वारा चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया गया.

17. गर्भगृह में प्रवेश

डॉ. हिरालाल अलावा एवं श्री कैलाश कुशवाह सहित इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेने का और अधिक अवसर देने की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया.

18. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

पुन: व्यवधान होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – " माननीय सदस्यगण भलीभांति जानते हैं कि विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 153 (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि, पहले निश्चित समय पर मेरे द्वारा अनुदान मांगों के संबंध में प्रश्न, चर्चा पूर्ण करने के लिए रखा जाएगा और इसी परिप्रेक्ष्य में यह रखा गया. प्रतिपक्ष की ओर से 21 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी. समय पूर्ण होने के बाद मैंने वित्तमंत्री जी को आमंत्रित किया. कार्यवाही अब आगे बढ गई है. मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की कार्यवाही चलने दे.

हम सब लोगों ने मिलकर ही तय किया था कि बजट पर 4 घंटे चर्चा की जाएगी, यह भी बात बार-बार हुई कि 4 घंटे में पूरा किया जाएगा. 4 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई है. सब सदस्यों ने भाग लिया है. प्रतिपक्ष की ओर से 21 सदस्य बोले हैं और 4 घंटे से अधिक हो गये हैं. हम सब इस बात को जानते हैं कि समय पूर्ण होने के बाद फिर वित्त मंत्री जी का जवाब होता है, उनको आमंत्रित किया जाता है, उसके बाद चर्चा पूर्ण होती है. मेरा आप सब से अनुरोध है कि कृपया कार्यवाही के संचालन में योगदान दें. मेरा सहयोग करें. कृपा करके अपने आसन पर बैठें. वित्त मंत्री का जवाब पूर्ण होने दें. "

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से बजट पर बोलने हेतु अनुरोध किया गया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निवेदन किया गया कि परम्परानुसार नेता प्रतिपक्ष महोदय को बोलने का अवसर मिलना चाहिये किन्तु वह तत्समय सदन में उपस्थित नहीं थे.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया गया. इस पर विपक्ष के सदस्यगण द्वारा पुन: व्यवधान के कारण 7.17 बजे से कार्यवाही स्थगित की जाकर 7.33 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.}

19. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री उमंग सिंघार, श्री नेता प्रतिपक्ष द्वारा संक्षिप्त भाषण दिया गया और श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर पूर्ण किया गया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 6) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 6) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

21. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से की गई घोषणानुसार -

(1) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भिण्ड जिले की कृषि उपज मंडी मेहगांव के सहायक उप निरीक्षक का वेतन भुगतान न होने,

(2) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य ने सिंगरौली जिले के ग्राम घिरौली में बगैर मुआवजा दिये ही सड़क हेतु भूमि का अधिग्रहण किए जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने प्रदेश में वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन में वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत वृद्धि की जाने,

(4) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना अतंर्गत शिक्षकों को वरिष्ठता/क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान का भेद भाव पूर्ण व्यवहार किए जाने,

(5) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य ने शहडोल जिले की ग्राम भमरहा द्वितीय में हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाए जाने,

(6) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्य ने उमरिया जिले के पटवारी हल्का दुब्बार में स्थित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने,

(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने कटनी में श्रम न्यायालय खोले जाने,

(8) श्री माधव सिंह (मधु गहलोत), सदस्य ने जिला आगर मालवा में सिंचाई हेतु किसानों को पर्याप्त पानी न मिल पाने,

(9) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने बड़वानी स्थित कन्या महाविद्यालय को प्रांरभ न किए जाने,

(10) डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने मैहर जिले के ग्राम पठरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

अपराह्न 7.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 (28 अग्रहायण, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2024